महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियानः-

"स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत" का लिया संकल्प...।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आज दिनांक 31.03.2024 को महोबा पुलिस के समस्त थानों/कार्यालयों एवं पुलिस लाइन में स्वच्छता अभियान चलाकर थाना कार्यालय, बैरक, थाना परिसर, प्रशासनिक भवन, मेस, परिसर एवं विशेषकर खाली पड़े स्थानों पर बेतरतीब उगी हुई घास को काटा गया व गंदगी की साफ सफाई की गयी।

थानों पर कार्यरत कर्मियों द्वारा थाना परिसर के साथ-साथ बैरकों, मालखाना, मेस, थाना कार्यालय की साफ-सफाई के साथ शस्त्रों की सफाई भी की गयी साथ ही अभिलेखों को सुव्यवस्थित तरीके से रखा गया तथा आमजनमानस को भी स्वच्छता का सन्देश देकर स्वच्छता के प्रति जागरुक किया गया।

थाना कबरई की पुलिस टीम ने

अवैध शराब के साथ 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत जनपद महोबा में अपराध एवं अवैध शराब का निष्कर्षण, बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 30.03.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कबरई श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम के उ0नि0 कमलाकान्त द्विवेदी के द्वारा 02 नफर अभियुक्तगण 1. मंगल सिंह पुत्र प्रेम सिंह उम्र 38 वर्ष 2. अजय कुमार द्विवेदी पुत्र गंगा राम उम्र 58 वर्ष को बदन सिंह/रोशन सिंह डिग्री कालेज के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद झोले से क्रमशः 22- 22 क्वार्टर अवैध देशी शराब ठेका नाजायज बरामद हुई । बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 88/2024 व मु0अ0सं0 89/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मंगल सिंह पुत्र प्रेम सिंह उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम सतारी थाना कुलपहाड जनपद महोबा
2.अजय कुमार द्विवेदी पुत्र गंगा राम उम्र 58 वर्ष निवासी पासी खेडा घाटमपुर थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 कमलाकान्त द्विवेदी
2. का0 नईम अहमद
3. का0 अमित कुशवाहा

थाना कबरई की पुलिस टीम ने
03 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 31.03.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया था गठित टीम के उ0नि0 रामकिशन यादव के द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्तगण 1. जर्रार अहमद पुत्र अब्दुल गफ्फार उम्र 30 वर्ष 2. इफ्तिखार पुत्र पुत्र अब्दुल गफ्फार उम्र 43 वर्ष को मान0 न्यायालय सीजेएम बांदा अ0सं0 667/2010 सरकार / जर्रार अहमद व इफ्तिखार धारा 454/380 भादवि थाना कोतवाली नगर बांदा में निर्गत वारण्ट के आधार पर मु0 विवेकनगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में उ0नि0 श्री चन्द्रशेखर सिंह के द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त कमलेश कुमार पुत्र गनेश प्रसाद रैकवार उम्र 38 वर्ष को मान0 न्यायालय सीजेएम महोबा मु0न0 1651ए/18 सरकार / कमलेश धारा 307 भादवि थाना कबरई अ0सं0 124/2007 में निर्गत वारण्ट के आधार पर गिरफ्तार किया गया, बाद गिरफ्तारी अभियुक्तों को सम्बन्धित मान0 न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. जर्रार अहमद पुत्र अब्दुल गफ्फार उम्र 30 वर्ष नि0 मु0 विवेकनगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा
2. इफ्तिखार पुत्र पुत्र अब्दुल गफ्फार उम्र 43 वर्ष नि0 मु0 विवेकनगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा
3. कमलेश कुमार पुत्र गनेश प्रसाद रैकवार उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम खरका थाना कबरई जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रामकिशन यादव 2. उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह
3. हे0कां0 रामकरन सिंह 4. कां0 बृजेश कुमार गौतम

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 31.03.2024
महोबा पुलिस
मीडिया सेल, महोबा

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को 01 किलो 210 ग्राम अवैध गांजा के साथ किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत जनपद महोबा में अपराध एवं अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 31.03.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राधेश्याम वर्मा थाना महोबकंठ द्वारा थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशटर अपराधी करन सिंह राजपूत उर्फ कृष्ण कुमांर पुत्र बालेन्द्र कुमार उम्र करीब 25 वर्ष के पास से 01 किलो 210 ग्राम सूखा गाँजा नाजायज बरामद करते हुये गिरफ्तार किया गया अभियुक्त करन सिंह उपरोक्त थाना स्थानीय का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है तथा जनपद महोबा के थानो में कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 68/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक राधेश्याम वर्मा 2.उ0नि0 महेन्द्र कुमार वर्मा 3.का0 सौरभ सिंह 4.का0 भरत सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त-

करन सिंह राजपूत उर्फ कृष्ण कुमांर पुत्र बालेन्द्र कुमार उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम कुनाटा थाना महोबकंठ महोबा

आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त का नाम- **करन सिंह राजपूत उर्फ कृष्ण कुमारं पुत्र बालेन्द्र कुमार उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम कुनाटा थाना महोबकंठ जनपद महोबा**

क्र.सं.	मुअसं.	धारा	थाना	जनपद
1.	1006/16	363,366ए,511 भादवि व 8 पाक्सो एक्ट	कोतवाली नगर महोबा	महोबा
2.	240/19	147/323/504/506 भादवि	कोतवाली नगर महोबा	महोबा
3.	420/19	308/325 भादवि	कोतवाली नगर महोबा	महोबा
4.	604/19	147/325/504/506 भादवि	कोतवाली नगर महोबा	महोबा
5.	615/19	323/506 भादवि	कोतवाली नगर महोबा	महोबा
6.	49/20	3(1) गैंगेस्टर एक्ट	कोतवाली नगर महोबा	महोबा
7.	74/20	353/504/506 भादवि	कोतवाली नगर महोबा	महोबा
8.	22/21	147/148/149/307/323/427/504/506 भादवि	पनवाड़ी	महोबा
9.	212/21	307/323/34/341/504/506 भादवि	चरखारी	महोबा
10	233/21	3/25 ए एक्ट	चरखारी	महोबा
11.	195/22	3/25 ए एक्ट	महोबकंठ	महोबा
12.	143/19	323/325/427/504/506 भादवि	महोबकंठ	महोबा
13.	188/22	326 भादवि	महोबकंठ	महोबा
14.	144/22	147/148/149/323/504/506/307 भादवि	महोबकंठ	महोबा
15.	58/24	323/504/506 भादवि	महोबकंठ	महोबा
16.	193/22	3/25 ए एक्ट	कुलपहाड़	महोबा
17.	68/24	8/20 एनडीपीएस एक्ट	महोबकंठ	महोबा

थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम ने
02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 31.03.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम के उ0नि0 बुद्धिसागर द्वारा एक नफर वारण्टी अभियुक्त हुसैन पुत्र बफाती उम्र 48 को सम्बन्धित वारण्ट मु0न0 3245/16 धारा 11(घ) पशु क्रुरता निवारण अधि0 में मुहल्ला कसौराटोरी महोबा से गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में उ0नि0 श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा एक नफर वारण्टी अभियुक्त गोविन्द कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 रामेश्वर दयाल गुप्ता उम्र 48 वर्ष को सम्बन्धित परि0 सं0 1072/11 धारा 7/16 पीएफ एक्ट में मुहल्ला छिपियानापुरा महोबा से गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर वारंटी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.हुसैन पुत्र बफाती उम्र 48 वर्ष निवासी मुहल्ला कसौराटोरी थाना कोतवाली नगर महोबा जनपद महोबा
2.गोविन्द कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 रामेश्वर दयाल गुप्ता उम्र 48 वर्ष निवासी मु0 छिपियाना थाना कोतवाली नगर महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 बुद्धिसागर प्रभारी चौकी मनियादेव थाना कोतवाली नगर महोबा
2.उ0नि0 सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया प्रभारी चौकी भटीपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा
3.हे0कां0 मुन्नालाल यादव
4.कां0 दीपेश कुमार यादव

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत थाना महोबकंठ के विभिन्न संवेदनशील मतदान केन्द्र/मतदेय स्थलों में फ्लैग मार्च/एरिया डोमिनेशन किया गया।

क्षेत्र में भयमुक्त माहौल बनाते हुए लोकतंत्र के महापर्व में मतदान के लिये किया गया जागरुक।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में क्षेत्र में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु की जा रही कार्यवाही के साथ-साथ जनपद में पारदर्शी, निष्पक्ष और शातिपूर्वक चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार सहिता का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराये जाने तथा अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम तथा क्षेत्र में सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक 31.03.2024 को थाना महोबकंठ पुलिस एवं केन्द्रीय पुलिस बल द्वारा थाना क्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न सवेदशील मोहल्लो/ग्रामों, वल्नरेबिल/क्रिटिकल ग्रामों/मतदेय स्थलों में संयुक्त रुप से फ्लैगमार्च कर चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया ।

इस दौरान थानाक्षेत्र की जनता से संवाद स्थापित कर आगामी लोकसभा चुनाव के सम्बंध मे मा0 निर्वाचन आयोग के आदेशों-निर्देशों से अवगत कराया गया तथा क्षेत्र में भयमुक्त माहौल बनाते हुए लोकतंत्र के महापर्व में जनता से निर्भीक होकर निष्पक्ष मतदान करने की अपील की गई।

थाना खरेला की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण एवं परिवहन की रोकथाम व ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 31.03.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री गोपाल चन्द्र कनौजिया के द्वारा गठित की गई उ0नि0 रामअभिलाष यादव मय हमराह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ एक नफर अभियुक्त भानुप्रताप कुशवाहा पुत्र नाथूराम उम्र करीब 37 वर्ष निवासी ग्राम जरौली थाना खरेला जिला महोबा को घटनास्थल चन्दौली रोड़ के पास वहद ग्राम चन्दौली थाना खरेला जनपद महोबा के पास से हिरासत में लिया इस दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक अदद प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर अवैध देशी शराब महुआ बरामद हुयी। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना खरेला में मु0अ0सं0 32/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण –

1. उ0नि0 रामअभिलाष यादव
2. पीआरडी मोहनलाल

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

भानुप्रताप कुशवाहा पुत्र नाथूराम उम्र करीब 37 वर्ष निवासी ग्राम जरौली थाना खरेला जिला महोबा बरामद मालः- एक अदद प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर अवैध देशी शराब

थाना खरेला की पुलिस टीम ने एक नफर वारण्टी/वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 31.03.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौंड के निकट पर्यवेक्षण में थाना खरेला प्रभारी निरीक्षक श्री गोपालचन्द्र कनौजिया द्वारा गठित की गई वरिष्ठ उ0नि0 अरविन्द कुमार उपाध्याय मय हमराह कर्मचारी एवं निरीक्षक श्री ईश्वर शरण राय की मदद से पुलिस टीम ने एक नफर वारण्टी/वांछित अभियुक्त छोटू सिह उर्फ अमित पुत्र नन्द किशोर नि0 निवासी दुर्गादेवी का पुरवा मजरा गिरसी थाना रेवना जनपद कानपुर नगर संबंधित मु**0**अ**0**स**0109/2023** धारा **417/419/420** भादवि व **66** सी**0** व डी**0** आईटी**0** एक्ट थाना खरेला, निर्गत **NBW** मा0 न्यायालय **C.J.M** महोबा के क्रम में अभियुक्त को धवारी चौराहा कस्बा व थाना खरेला जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु समय से भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-1 का विवरणः- 1. निरीक्षक ईश्वर शरण राय 2. कां0 अम्बरीश कुमार

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम -2 का विवरणः- 1. वरिष्ठ उ0नि0 अरविन्द कुमार उपाध्याय 2. कां0 जितेन्द्र सिंह गौतम

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. छोटू सिह उर्फ अमित पुत्र नन्द किशोर उम्र करीब 37 वर्ष नि0दुर्गादेवी का पुरवामजरा गिरसी थाना रेवना जनपद कानपुर नगर

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 31.03.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना खन्ना की संयुक्त पुलिस टीम ने 02 नफर वारन्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 31.03.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण मे थाना खन्ना प्रभारी निरीक्षक श्री नागेन्द्र कुमार नागर द्वारा गठित की गई उ0नि0 राधेश्याम सिंह मय हमराह उ0नि0 मौजीलाल वर्मा व उ0नि0 नन्द कुमार मिश्रा, हे0का0 बृजेन्द्र सिंह भदौरिया व का0 हरनाम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान 02 नफर वारण्टी अभियुक्तगण क्रमशः 1.बुन्नी प्रजापति पुत्र मंगी प्रजापति नि0 ग्राम खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा उम्र करीब 29 वर्ष सम्बंधित मु0न0 1349/2019 सीसी न0 57/19 सरकार बनाम बुन्नी प्रजापति धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खन्ना अ0स0 36/17 सम्बंधित न्यायालय सिविल जज जू0डि0 महोबा नियत तिथि 21/05/24 उपरोक्त अभियुक्त को ग्राम खन्ना से तथा 2.अतुल सिंह पुत्र स्व0 रामकुमार सिंह नि0 ग्राम पुरा थाना खन्ना जनपद महोबा उम्र करीब 40 वर्ष मु0न0 485/20 सीसी न0 4442/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना खन्ना अ0स0 102/20 तारीख पेशी 09.05.24 न्यायालय सिविल जज जू0डि0 महोबा से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम पुरा से हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्तगणो उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारन्टी अभियुक्तों का विवरण-

1. बुन्नी प्रजापति पुत्र मंगी प्रजापति नि0 ग्राम खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा उम्र करीब 29 वर्ष
2. अतुल सिंह पुत्र स्व0 रामकुमार सिंह नि0 ग्राम पुरा थाना खन्ना जनपद महोबा उम्र करीब 40 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 राधेश्याम सिंह 2.उ0नि0 मौजीलाल वर्मा 3.उ0नि0 नन्द कुमार मिश्रा
4. हे0का0 बृजेन्द्र सिंह भदौरिया 5.का0 हरनाम

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 31.03.2024
महोबा पुलिस
मीडिया सेल, महोबा

उपनिदेशक प्रयागराज ज़ोन द्वारा फायर स्टेशन महोबा का वार्षिक निरीक्षण किया गया, दिये गये आवश्यक निर्देश।

आज दिनाँक 31.03.2024 को महानिदेशक अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तर प्रदेश निर्देशानुसार श्री आर.के. पांडेय उपनिदेशक प्रयागराज ज़ोन द्वारा फायर सीज़न एवं आगामी लोक सभा चुनाव के दृष्टिगत फायर स्टेशन सदर महोबा का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टोर, भोजनालय, एमटी शाखा, आवासीय भवन एवं फायर स्टेशन में मौजूद फायर टेण्डर को चलवाकर उनकी सक्रियता को परखा गया मौके पर प्रभारी अग्निशमन अधिकारी देवेश तिवारी एवं समस्त कर्मचारीगण मौजूद रहे, इस दौरान समस्त कर्मचारियों की कुशलता भी जानी गई!

बढ़ती हुयी तपिश के दृष्टिगत प्रभारी फायर सर्विस महोबा श्री देवेश तिवारी को फायर टेण्डर को हमेशा एलर्ट मोड में रखने सम्बन्धी उचित दिशा निर्देश दिए गये तथा फायर सीजन/ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए समय से टर्नआउट एवं आमजनता में अग्नि सुरक्षा हेतु जनजागरूकता अभियान निरंतर चालू रखने के भी दिशा निर्देश दिए गये।

थाना कुलपहाड़ की संयुक्त पुलिस टीम ने 03 नफर वांछित/वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 31.03.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थाना कुलपहाड़ प्रभारी निरीक्षक श्री भास्कर मिश्र के नेतृत्व में थानाहाजा के वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु संयुक्त पुलिस टीमों का गठन किया गया।

प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री भास्कर मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक नफर वांछित अभियुक्त दिलीप कुमार अहिरवार पुत्र राधे अहिरवार निवासी ग्राम सतारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा उम्र 22 वर्ष सम्बन्धित मु0अ0सं0 99/**2023** धारा 363/366 भादवि को बस स्टैण्ड कुलपहाड़ से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार/ बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

1. **SHO** कुलपहाड़ श्री भास्कर मिश्र
2. का0 मनोज कुमार

- उ0नि0 शेरे आलम खां के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने एक नफर वारण्टी अभियुक्त मोहम्मद अतीक पुत्र अब्दुल सत्तार उम्र 58 वर्ष निवासी मो0 टिलवापुरा कस्बा व थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा सम्बन्धित केश नं 97/2020 धारा 128 सीआरपीसी थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश किया गया ।

गिरफ्तार/ बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 शेरे आलम खां

- उ0नि0 दिनेश सिह मय हमराह हे0कां सोम सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक नफर वारण्टी पुष्पेन्द्र पुत्र रघुवीर उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम विजयपुर थाना कुलपहाड जनपद महोबा सम्बन्धित मु0अ0सं0 1463/2007 धारा ¾ डीपी एक्ट थाना कोतवाली महोबा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश किया गया ।

गिरफ्तार/ बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 दिनेश सिह
2. हे0कां सोम सिंह

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 31.03.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन किये जाने से बच सकती है जिन्दगी...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत जनपद महोबा में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाये रखने तथा जनपद महोबा में होने वाली विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाए जाने तथा जनपद में विभिन्न आपराधिक प्रवृत्ति के अपराधियों के प्रवेश पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के लिये प्रभारी यातायात महोबा श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में जनपदीय यातायात पुलिस टीम द्वारा नियमित अभियान चलाया जा रहा है तथा स्थानीय लोगों व अन्य सभी वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरुक किया जा रहा है।

आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत चलाया गया चेकिंग अभियान- प्रभारी यातायात श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा आमजनमानस में यातायात नियमों के प्रति जागरुक किये जाने हेतु वाहन चालकों को सडक सुरक्षा नियमों के सदैव पालन का पाठ पढाया जा रहा है तो वही आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत जनपद के विभिन्न इन्ट्रीप्वाइंट्स पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस बल एलर्ट मोड में है पुलिस टीम का प्रमुख उद्देश्य है कि जनपद महोबा में किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के जनपद में प्रवेश करने न दिया जाये। जिससे जनपद में निर्विवाद, शान्तिपूर्ण माहौल में सकुशल चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न कराये जा सके।